

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 501 सन 2018
अनवान :-

1. कमल किशोर पुत्र रामजस जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. रामजस पुत्र मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार 3 देवीलाल 4 शंकरलाल पि0 रामजस जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. शान्ति 6 विमला 7 केशर 8 सुमन्द्रा पुत्रीया रामजस जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 14.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 443/116 के खसरा न0 111/1 की 2.0740हैक खसरा न0 255/2 की 3.8060हैक कुल 5.8800हैक भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/192 के खसरा न0 421/1 की 2.0240हैक खसरा न0 66/2 की 1.3910हैक कुल 3.4150हैक भूमि जिसके पूर्व में वादी के दादा मोहनलाल पुत्र नानूराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा मोहनलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई जिन्होंने खाता विभाजन करवाने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 443/116 के खसरा न0 111/1 की 2.0740हैक खसरा न0 255/2 की 3.8060हैक कुल 5.8800हैक भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/192 के खसरा न0 421/1 की 2.0240हैक खसरा न0 66/2 की 1.3910हैक कुल 3.4150हैक भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक

हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विस्तरतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 443/116 के खसरा न0 111/1 की कुल 5.8800 हैक् भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/192 के खसरा न0 421/1 की कुल 3.4150 हैक् भूमि दोनो खातों की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक

को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)